फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

विजय कुमार बनाम अनिता जैन

दीवानी वाद संख्या 29/18

सीआईएस संख्या 30/18

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.04.2026	श्री अविनाश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से उपस्थित। श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 08 नियम 01 (3) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण की विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जो सिविल वाद प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए हैं, उन पत्रावलियों को तलब करने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा आवेदन करने पर इस न्यायालय ने प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता दी है कि वह इन पत्रावलियों से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा सिविल वाद संख्या 07/17 व 8/17 व अन्य फौजदारी प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं। यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जो दस्तावेजात प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए हैं, वे दस्तावेजात प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, ना ही संपूर्ण दस्तावेजो को प्रस्तुत किया गया है। अपितु अधूरे दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज	

	किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 06-03-2026 व दिनांक 16-03-2026 को फर्द दस्तावेजों की सूची के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है, उन दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के पक्षकारों एवं विषयवस्तु से संबंधित है। यह पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर है। उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। जहां तक इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, तो इस देरी को कोस्ट लगाकर कम्पन्सेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र एक हजार रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06-03-2026 व 16-03-2026 को प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिया जाता है। कोस्ट राशि वादी को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 06-04-2026 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	